प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, शिविर- लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उपनिबन्धक,
उत्तर प्रदेश।

संख्या- 1910/शि0का0लख0/2003 दिनांक 5-6-2003

विषय- निबन्धनकर्ता अधिकारी के रूप में किये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशन।

महोदय,

आपके सतत प्रयास, निष्ठा एवं परिश्रम ने यह सिध्द कर दिखाया है कि जहॉ इस विभाग की राजस्व आय वित्तीय वर्ष 1998-99 में 1074 करोड़ रूपये रही, वहीं वर्ष 2002-03 में यह बढ़कर 2113.48 करोड़ अर्थात लगभग दो गुनी हो गयी। यह उपलब्ध गत वर्ष की उपलब्धि 1474.48 करोड़ की तुलना में 43.33 प्रतिशत अधिक है, जो एक ऐतिहासिक एवं गौरवमयी उपलब्धि है, जिसका श्रेय मैं आपकी अथक मेहनत एवं आपके सहयोगियों को देते हुए बधाई देता हूं तथा यह भी अपेक्षा करता हूं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 में निर्धारित लक्ष्य रू0 2350 करोड़ से कहीं अधिक उपलब्धि गत वित्तीय वर्ष की भॉति प्राप्त कर पुनः एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगें।

इस वित्तीय वर्ष में विभाग को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाये जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य बिन्दु प्रगति पर हैं। इनमें कम्प्यूटरीकरण, विभागीय ढांचे में सुधार, नयी कर नीतियां आदि प्रमुख हैं। गत वित्तीय वर्ष में रिकार्ड राजस्व प्राप्ति का एक प्रमुख कारण करापवंचन को रोकने की दिशा में आप के द्वारा किए गए सार्थक प्रयास उल्लेखनीय रहे है। आप सहमत होगें कि इस दिशा में अभी और प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि निबन्धन की प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु स्थानीय स्तर पर बहुत सारे अवांछनीय तत्व सदैव प्रयासरत रहते है और इसका खामियाजा विभाग को भुगतना पड़ता है। हमारे अधिनियमों/नियमों / विभागीय निर्देशों व सर्किल रेटों की व्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से त्रुटियां/ लूपहोल छूटे रहते हैं, जिसका दुरूपयोग करने की संभावना हर समय बनी रहती है। इस सम्बन्ध में मै शासन स्तर से जारी कतिपय शासनादेश जो "भूमि के भावी उपयोग" को न देखने से सम्बन्धित है, का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनका गलत अर्थ लगाया जाता रहा

है। इन शासनादेशों की मंशा केवल यह है कि काल्पनिक आधार पर कोई मूल्यांकन नहीं हो, जो अपने आप में सही है, परन्तु इन शासनादेशों की यह मंशा कतई नही है कि वर्तमान में भूमि की जो वास्तविक पोटेंशियल है, उसकी उपेक्षा कर दी जाय। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली1997 की धारा-3 इस सम्बन्ध में एक नियामक व्यवस्था है, जिसका हर प्रलेख में शत प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य व अपरिहार्य है। इसमें यह स्पष्ट व्यवस्था है कि लिखत में कृषि भूमि, अकृषि भूमि, बाग या उद्यान, भवन की स्थिति में वर्णित विवरण सही सही व पूरे दिये जाएगें। उदाहरण के लिये अकृषि भूमि का वर्गमीटर में क्षेत्रफल, जिले के कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य, अवस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार भवन कि स्थिति में उसकी प्रकृति (गैर वाणिज्यिक या वाणिज्यिक), गैर वाणिज्यिक भवन की स्थिति में कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य, अवस्थिति, निर्माण का प्रकार, कवर्ड क्षेत्रफल,निर्माण का वर्ष तथा वाणिज्यिक भवन की स्थिति में कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मासिक रेन्ट, कवर्ड क्षेत्रफल पर प्रति वर्गमीटर तथा अवस्थिति अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। इस व्यवस्था के शत- प्रतिशत अनुपालन से किसी भी लिखत में करापवंचन की संभावना उत्पन्न हो ही नही सकती है। ऐसे क्षेत्रों में जहॉ एक से अधिक प्रकार की दरें उपयोग के आधार पर निर्धारित है, वहॉ भी लिखत में सही सही तथ्यों का उल्लेख किये जाने के कारण उपनिबन्धक द्वारा यह स्पष्ट निर्णय लिया जा सकता है कि लिखत में अन्तर्ग्रस्त सम्पतित की प्रकृति क्या है और उस पर कौन सा दर प्रभार्य होगा। इसे और अधिक स्पष्ट करने हेतु विभागीय परिपत्र दिनांक 19-12-2002 द्वारा विकसित/ विकासशील क्षेत्रों जहॉ, एक से अधिक प्रकार की दरें लागू है, उनमें 50 मीटर की त्रिज्या का नक्शा भी लिया जाना अनिवार्य किया गया है। यहाँ मै यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में जहॉ एक से अधिक दरें प्रभावी है उनमें उपनिबन्धक का सम्पूर्ण दायित्व है कि वह प्रत्येक प्रलेख की आवश्यक जॉच पड़ताल कर, तथ्यों को सही सही भरवाकर तथा आवश्यकता पड़े तो स्थलीय जॉच पड़ताल कर भूमि/भवन की सही प्रकृति स्थापति करे और उस पर सही स्टाम्प दरें आरोपित करें । बहुधा यह देखा गया है कि उपनिबन्धकगण पक्षकारों द्वारा दिये गये विवरण को सही मानकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते है और अपने बचाव में खसरा/ खतौनी का आधार लेते है, जो बाद में त्रुटिपूर्ण/ भ्रामक साबित होते है। ये कृत्य उपरोक्त व्यवस्था का खुला उल्लघंन है और बाद में जॉच पड़ताल होने पर अपने बचाव में कतिपय शासनादेशों/ विभागीय निर्देशों आदि का गलत उल्लेख करते है।

गत एक डेढ़ वर्ष में जिन उपनिबन्धकों /प्रभारी उपनिबन्धकों के विरूध्द विभाग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की गयी, उनमें निहित बिन्दुओ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है, जिसका सावधानी पूर्वक आप अवलोकन कर ले। यह आप के लिए मार्ग निर्देश के रूप में कार्य करेंगा। आपके कार्यालय में निबन्धन लिपिकों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है और यह पाया गया है कि इन पर कहीं कहीं सुमचित नियंत्रण का अभाव है। यह स्थिति उचित नही कही जा सकती है । यहॉ से बारम्बार यह लिखा गया है कि यदि ऐसे निबन्धन लिपिक आदि आपके कार्यालय में कार्यरत है जिनका कार्य, व्यवहार, आचरण, विभागीय मर्यादा के प्रतिकूल हो तो उनके विरूध्द कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित किया जाय। इस सम्बन्ध में आप सीधे सारे तथ्य देते हुए मुझे सूचित कर सकते है। निश्चय ही मै इन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करूगां। कहीं कहीं अधिवक्तागण/ दस्तावेज लेखक भी कार्यालय पर हाबी बताये जाते है जो उचित नही है। इनके सम्बन्ध में भी समय रहते आपको यथोचित जानकारी अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लानी चाहिए, ताकि इनका निराकरण भी मेरे स्तर से किया जा सके। निबन्धन लिपिकगण, डीड राइटर्स, अधिवक्तागण आदि उपनिबन्धक कार्यालय से अभिन्न रूप से जुड़े रहते है और इनको भी अद्यतन नियमों / अधिनियमों / निर्देशों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे भी सजग होकर इनका अनुपालन अपने स्तर पर करें । अतः नीचे दिये गये उदाहरण न केवल आपके लिये वरन आपके कार्यालय से जुड़े अन्य व्यक्तियों के भी संज्ञान में भलीभॉति आ जाना चाहिए, इस हेतु आप बैठक आदि कर उन्हे पूरी तरह अवगत करा सकते है। मेरा यह मानना है कि प्रबन्धन के इस नये दौर में हर स्तर पर सीधा संवाद कायम हो ताकि हरेक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्यों के प्रति सजग रहे ।

1- शासन के स्पष्ट आदेशों के उपरान्त भी विलेखों को उसी दिन पक्षकारों को वापस नही किया गया, परन्तु रसीद के पृष्ठ भाग पर पक्षकारों के वापसी के हस्ताक्षर विलेख के प्रस्तुतीकरण के समय ही बनवा लिये गये थे।
2- कार्यालय में बाहरी / गैर सरकारी व्यक्ति को रखकर उसके जरिये पक्षकारों का उत्पीड़न करते हुए उनसे प्रलेख वापसी के लिए उत्कोच धनराशि की मांग की जाती रही।
3- विलेखों का प्रस्तुतीकरण स्वीकार कर धारा 60 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त मुख्य पृष्ठ का नम्बर तथा धारा 60 में कार्यवाही एवं मुहर को काटते हुए बिना किसी प्रत्यक्ष कमी स्टाम्प अथवा आपत्ति पर्ची निर्गत करते हुए विलेख को धारा -33 के अन्तर्गत अवरूध्द कर संदर्भित किया गया।
4- वसीयत विलेख को बंटवारा विलेख मानते हुए धारा 33 के अन्तर्गत बिना किसी पर्याप्त आधार के नियम विरूध्द तरीके से सदंर्भित किया गया ।

5- लेखपत्रों में पृष्ठांकन लेखन का कार्य अपनी हस्तलिपि में न कर दैनिक वेतन भोगी लिपिकों से कराया गया ।

6- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के स्थल निरीक्षण किये जाने के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त न करके पक्षकारों को लाभ पहूंचाया गया और अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नही किया गया।

7- निबन्धन अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण में सम्पत्ति को पूर्ण मूल्यांकित घोषित किया गया, जबकि जिलाधिकारी व्दारा स्थल निरीक्षण में भारी अपवंचन पाया गया ।

8- विक्रय विलेख में केवल भूतल पर दुकान तथा ऊपर आवासीय कमरा दिखाया गया ,जबकि उसी सम्पत्ति के इकरारनामें में दो मंजिला पक्की दुकान का विक्रय उल्लिखित था। इकरार का निबन्धन व स्टाम्प का समायोजन एक ही अधिकारी द्वारा किया गया।

9- निबन्धन अधिकारी द्वारा धारा 52, 58 एवं 60 के अन्तर्गत कार्यवाही न करके अगले विलेख का निबन्धन कर दिया गया तथा पक्षकार से लेखपत्र वापसी के हस्ताक्षर रसीद पर करा लिये गये।

10- निबन्धन अधिकारी द्वारा अपनी पुत्री व अन्य गैर सरकारी बाहरी व्यक्तियों से विलेख की नकलें इत्यादि तैयार करवाई गयी।

11- शाश्वत पट्टे पर बाजारू मूल्य पर स्टाम्प शुल्क अदा किये जाने का प्रावधान हो जाने के पश्चात भी 100 रूपये के स्टाम्प पर लेखपत्र निबन्धित कर पक्षकर को वापस कर दिया गया।

12- मूल्यांकन सूची में नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत 650 वर्ग मीटर तक प्रत्येक भूमि पर आवासीय दर से स्टाम्प लगाये जाने के आदेश के उपरान्त भी कृषि दर पर स्टाम्प शुल्क लगाया गया।

13- नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत औद्योगिक भूमि की कृषि भूमि की दर से रजिस्ट्री की गयी, जबकि खसरे में स्पष्ट रूप से पुरानी परती के रूप में भूमि अंकित थी एवं अन्य कालम में फसल आदि का उल्लेख नही था फिर भी निबन्धन स्वीकार कर कृषि भूमि से मूल्यांकित करते हुए भारी राजस्व की हानि पहुंचायी गयी ।

14- नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आवासीय भूमि को कृषि दर पर निबन्धित किया गया , जबकि प्रश्नगत विलेख धारा47ए (1) के अन्तर्गत् पक्षकारों को आपत्ति पर्ची निर्गत करते हुए स्थगित कर संदर्भित करना चाहिए था। जिलाधिकारी की मूल्यांकन सूची में उस क्षेत्र का कृषि दर निर्धारित ही नही था।

15- शहर के प्रसिद्ध सिनेमा हाल का निबन्धन केवल प्लाट दिखाकर कर दिया गया, जबकि लेखपत्र के विवरण तथा चौहद्दी के परीक्षण से निबन्धन अधिकारी को तुरन्त ज्ञात हो

जाता कि विक्रीत सम्पत्ति सिनेमा हाल है। अपर जिलाधिकारी द्वारा आख्या मांगने पर भी स्थल निरीक्षण नही किया गया तथा लेखपत्र को यथाविधि स्टाम्पित बताया गया।

16- प्रमुख राजमार्ग पर स्थित दो सम्पत्तियों का निबन्धन साथ साथ होने पर भी दोनो लेखपत्रों पर अलग अलग दर से मूल्यांकन किया गया।

17- प्रलेख की चौहद्दी में जनपदीय मार्ग की चौड़ाई नही दर्शाई गई किन्तु कम चौड़ाई के आधार पर लेखपत्र का निबन्धन कर दिया गया तथा प्रलेख में चौड़ाई नही खुलवाई गई।

18- लेखपत्र कलेक्टर की रेट लिस्ट में दी गयी दरों से कम होने पर..... भी लेखपत्र को तत्काल संदर्भित न कर अन्य कारण दर्शातें हुए स्थगित कर दिया गया।

19- प्रलेख में भवन अंकित होने पर भी प्लाट मानकर रजिस्ट्री कर दी गयी।

20- लेखपत्र निष्पादन की तिथि को मिटाकर उस पर पुनः नयी निष्पादन तिथि अंकित की गयी और इस प्रकार स्टाम्प एक्ट में किये गये संशोधन के लागू होने की तिथि से पूर्व की तिथि डालकर स्टाम्प अपवंचन कराया गया ।

21- लेखपत्र खसरा इत्यादि के अभाव में स्थगित किया गया, जबकि वर्तमान में केवल मूल्यांकन हेतु अथवा किसी पक्षकार के अनुपस्थिति होने पर लेखपत्र स्थगित करने का प्राविधान है।

22- स्टाम्प रिट याचिका में प्रस्तरवार आख्या निर्धारित समय के अन्दर तैयार कर प्रतिशपथ पत्र दाखिल न करने के कारण शासन को समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित होना पड़ा।

23- एक ही लेखपत्र द्वारा तीन भिन्न भिन्न खरीदारों द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रफल अलग-अलग मूल्य दर्शाकर अन्तरित किया गया एवं लेखपत्र में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि भूमि जनपदीय मार्ग पर स्थित है। परन्तु निबन्धन अधिकारी द्वारा इन तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए आवासीय भूमि को कृषि भूमि की दर से निबन्धित किया गया ।

24- "विक्रीत भूमि की चौहद्दी अथवा नक्शे से यह सिद्ध होने पर कि विक्रीत भूमि कृषि भूमि से अन्यथा है तो उस पर अनुच्छेद में वर्णित दर के अनुसार संगत आवासीय/ वाणिज्यिक दर पर स्टाम्प देय होगा" का मूल्यांकन सूची में स्पष्ट प्राविधान होने पर भी विक्रीत भूमि की चौहद्दी नही खुलवायी गयी तथा कृषि भूमि की दर से मूल्यांकन कर दिया गया ।

25- प्रपत्र 6 में पूर्ण विवरण अंकित न होने पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति वाणिज्यिक भूमि को कृषि दर पर निबन्धित कर दिया गया ।

26- शहर के अति व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में स्थिति सम्पत्ति में सम्पत्ति मूल्यांकन नियमावली के नियम 3(1) क, 3(3) तथा स्टाम्प एक्ट की धारा 27(2) का अनुपालन न होने के कारण वाणिज्यिक सम्पत्ति का मूल्यांकन आवासीय दर से हो गया ।

27- विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जो महायोजना में औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज है, को बिना लेखपत्र की सावधानी पूर्वक जॉच किये विलेख में अंकित विवरण को सही मानकर औद्योगिक भूमि का निबन्धन कृषि दर पर कर दिया गया।

28- कतिपय प्रकरणों में व्यवसायिक सम्पत्तियों /दुकानों के निर्माण सम्बन्धी विल्डर्स एग्रीमेन्ट पर सम्पत्ति के बाजारी मूल्य पर स्टाम्प शुल्क नहीं लिया गया, जबकि व्यवसायिक/दुकानों के निर्माण विषयक एग्रीमेन्ट पर भी सम्पत्ति के मूल्यांकन के आधार पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है ।

29- इकरारनामा कब्जा सहित लेखपत्रों में प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क सन् 1998 के संशोधन के बाद भी बाजारी मूल्यांकन पर नही गया इस प्रकार एक समानान्तर प्रशासन नियमों के विरूद्ध चलाया गया ।

30- सरकारी लिक्वीडेटर की रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण रूप से विक्रय प्रमाणपत्र मानते हुए निबन्धन किया गया ।

31- लेखपत्रों में प्लान्ट एंव मशीनरी का मूल्य न तो खुलवाया गया और न ही ऐसे लेखपत्रों को संदर्भित किया गया। उक्त सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति से मूल्यांकन भी नही कराया गया।

32- होटल, नर्सिग होम, बारात घर होने की दशा में भी व्यवसायिक के बजाय आवसीय दर पर स्टाम्प शुल्क लिया गया ।

33- लेखपत्रों के स्थल निरीक्षण में भी गलत टिप्पणी अंकित की गई एवं स्थल निरीक्षण के उपरान्त भी सही रेट नही लगाया गया।

34- सबसे बड़े मूल्य के बैनामें जिलाधिकारी को भेजने के बजाय ऐसे बड़े बैनामों को छुपा लिया गया ।

35- वर्तमान स्थान पर स्थिति आवासीय / व्यवसायिक क्षेत्रों की दर न लगा कर पुराने गॉव के नाम से अंकित कम दरों पर स्टाम्प शुल्क लगाया गया।

36- एक ही सम्पत्ति के टुकड़े कर सड़क के सामने व पीछे की अलग-अलग दरों पर लेखपत्र निबन्धित किया गया ।

37- एक ही गाटे में स्थित प्लाटों की अलग - अलग दर जैसे आवासीय व कृषि दर पर स्टाम्प शुल्क ले कर निबन्धित किया गया।

38- विकासशील, अर्धनगरीय क्षेत्रों जहाँ मिश्रित दरें यथा व्यवसायिक / आवासीय / औद्योगिक आदि दरे है, उनमें चौहद्दी, प्रपत्र 6 , वांछित विवरण न खुलवाकर कर उत्तर

प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 3 का पूर्ण उल्लंघन करते हुए कम दर लेखपत्र निबन्धित किया गया ।

39- भविष्य के संभावित उपयोग संबंधी शासनादेश की गलत व्याख्या कर पक्षकारों से पूर्ण विवरण ले कर लिखत के सारे संगत तथ्य नही खुलवाये गये तथा सर्किल रेट के मुताबिक भूमि/ भवन की वास्तविक प्रकृति व अवस्थिति के अनुरूप दर नही लगाया गया।

40- नगरीय क्षेत्रों के आवासीय दरों की बजाय ग्रामीण आवसीय की दर पर लेखपत्र निबन्धित किया गया ।

41- व्यावसायिक / आवासीय दरों के स्थान पर औद्योगिक / कृषि दर पर लेखपत्र निबन्धित किया गया।

42- पट्टा विलेख तीस वर्ष से अधिक होने की दशा में उसे शाश्वत पट्टा न मानते हुए पूर्ण बाजार मूल्य पर स्टाम्प नही लिया गया।

43- मुख्तारनामें की सम्पति का विवरण खण्डनीय/ अखण्डनीय प्रकृति का है, इसे नही खुलवाया गया ।

44- दलालों /बिचौलियों / बाहरी व्यक्तियों को कार्यालय के आसपास बैठा कर उनसे पक्षकारों का उत्पीड़न कराया गया।

45- उप निबन्धक के अवकाश के दौरान उनकी अनुपस्थिति में हुए प्रमुख बैनामों की छान-बीन बाद में उनके द्वारा नही की गयी ।

46- कार्यालय में उपस्थिति रह कर भी धारा 60 आदि का पृष्ठांकन स्वयं न कर कार्यालय के लिपिकों द्वारा कराया गया।

47- कार्यालय में उपलब्ध इन्डेक्स रजिस्टर को अद्यावधिक नही रखा गया।

48- बड़े मूल्य के विक्रय पत्रों की स्वयं तात्कालिक जॉच नही की गई, जिसके फलस्वरूप भारी स्टाम्प की अपवंचना हुई ।

49- पक्षकारों के उत्पीड़न के उद्देश्य से एक प्रकरण में एक बार से अधिक बार जॉच की गयी और इस जॉच में भिन्न तथ्य भी प्रस्तुत किये गये ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग विभाग में घटित हुई ऊपर वर्णित गलतियों की पुनरावित्त स्वयं नही करेगे वरन समस्त सम्बन्धित को भी नही करने देगें । मै पूर्व में अपने परिपत्र में यह बात बल देकर कह चुका हूं कि उपनिन्धकगण इस विभाग की रीढ़ है और इस नाते आपको जनपद स्तर के अधिकारियो के संज्ञान में सर्किल रेट से सम्बन्धित त्रुटियां या अन्य प्रकार की प्रशासनिक गड़बड़ियों को तुरन्त संज्ञान में लाना चाहिए , ताकि उनका तत्समय निराकरण हो जाय। जनपद के अधिकारियो से भी मेरी अपेक्षा है कि उपनिबंधकों की

बातों पर गम्भीरतापूर्वक त्वरित निर्णय लेगें। राजस्व प्राप्ति से सम्बन्धित होने के कारण ऐसे प्रकरणों में विल्म्ब का अर्थ राजस्व का नुकसान है, जिस हेतु उच्चधिकारियों के उत्तर दायित्व का निर्धारण भी हो सकता है ।

इसके अतिरिक्त 8-8-2002 की अधिसूचना द्वारा स्टाम्प वादों में हुए गलत निर्णयों , यथोचित स्टाम्पित वादों आदि के सम्बन्ध में भी समीक्षा कर निगरानी दायर करने और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश शासन / विभाग द्वारा दिये गये है । उपनिबन्धक का यह दायित्व है कि इस मामलें में भी यहॉ से दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करेगें और अनुपालन न होने की दशा में मुझे सूचित भी करेगें।

गत वर्ष मुख्य सचिव, महोदय के निर्देशों पर बड़े बैनामों की जॉच का अभियान चलाया गया। यह अभियान आज भी चल रहा है। इस अभियान में कितने बैनामों की जॉच हुई, इसमें क्या परिणाम निकले, इसकी सूचना अधिकांश जनपदों से प्राप्त नही हुई है। यह आपका दायित्व है कि आप निर्धारित प्रारूप पर सूची तैयार करें और जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क कर बैनामों की जॉच के परिणाम आदि ज्ञात कर मुझे अवगत करायें । यदि किन्ही प्रकरणों में कार्यवाही जानबूझ कर नही हुई है तो ऐसे मामलों में मै सख्त कार्यवाही करूंगा।

इस वित्तीय वर्ष में विभाग की छवि, ढांचे और व्यवस्था को बेहतर करने का महती लक्ष्य हमने बना रखा है। हमें यह स्मरण रखना है कि हमनें गत वर्ष राजस्व वसूली का जो कीर्तिमान स्थापति किया है, उसके लिए प्रदेश की जनता साधुवाद की पात्र है और आगे उन्हे अधिक से अधिक सुविधा देने हेतु हम दृढ़ संकल्प है। सरकारी आधिकारी होने के नाते इस दिशा में आपके सार्थक प्रयासो से अवश्य ही विभाग की छवि आने वाले दिनों में बेहतर बनेगी।

भवदीय

ह०/-

(प्रभास कुमार झा)

महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश - शिविर लखनऊ

संख्या 1910(1-8) /शि0का0लख0/2003 दिनांक 5-6-2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशा०/प०क्षे०/विभा०)उत्तर- प्रदेश।

5- समस्त उप / सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्त्र प्रदेश।
6- समस्त अपरजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।
7- समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मुख्यालय / शिविर लखनऊ।
8- मुख्यालय/शिविर कार्यालय की गार्ड फाइल पर चस्पा करेन हेतु।

ह०/–
(प्रभास कुमार झा)
महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तर प्रदेश - शिविर लखनऊ।